रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2765] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2013/अग्रहायण 21, 1935
No. 2765] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2013/AGRAHAYANA 21, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3653(अ).—केंद्रीय सरकार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 61 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि ऐसा करना समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची I, अनुसूची II, अनुसूची III और अनुसूची IV में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिनियम की अनुसूची I में,—

 (क) "स्तनपायी" से संबंधित भाग I में प्रविष्टि 43 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

 "44. ढोंग डियर *(एक्सिस पोर्सीनस)*" ;

 (ख) "पक्षियों" से संबंधित भाग III में, प्रविष्टि 19 में *"कोलोकेलिया फ्यूसीफागा"* शब्दों का लोप किया जाएगा।

2. उक्त अधिनियम की अनुसूची II के, भाग II में, प्रविष्टि 5 का लोप किया जाएगा।

3. उक्त अधिनियम की अनुसूची III के, प्रविष्टि 11 का लोप किया जाएगा।

4. उक्त अधिनियम की अनुसूची के,

 (क) प्रविष्टि 11 में, मद सं. 57 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

 "57 क्वैल्स *(फासीनीडे)*-फार्म में प्रजनित नस्ल की कोटरनिक्स जापोनिका (जैपनीज़ क्वैल्स) को छोड़कर";

(ख) प्रविष्टि 15 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"15-क, टोके गैको (गैको गैको)" ।

[फा. सं. 1-15/2013-डब्ल्युएल]

डॉ. एस. एस. गर्बयाल, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)
और निदेशक, वन्यजीव संरक्षण

टिप्पण :—वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूचियों में समय-समय पर संशोधन किया गया है और इस संबंध में पिछली अधिसूचना सं. का. आ. 2293(अ) तारीख 4 सितम्बर, 2009 द्वारा जारी की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2013

S.O. 3653(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 61 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, being of the opinion that it is expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule I, Schedule II, Schedule III and Schedule IV to the said Act, namely :—

1. In Schedule I to the said Act,—
 (a) in Part I relating to "MAMMALS", after entry 43, the following entry shall be inserted, namely :—
 "44. Hog Deer (*Axis porcinus*)";
 (b) in Part III relating to "BIRDS", the word *"Collocalia fusiphaga"* in the entry 19 shall be omitted.
2. In Schedule II to the said Act, in Part II, the entry 5 shall be omitted.
3. In Schedule III to the said Act, the entry 11 shall be omitted.
4. In Schedule IV to the said Act,—
 (a) In entry 11, for item 57 and entry relating thereto, the following item and the entry shall be substituted, namely :—

 "57. Quails (*Phasinidae*)-except *Coturnix japonica* (Japanese Quails) of farm bred variety";

 (b) after entry 15, the following entry shall be inserted, namely :—

 "15-A. Tokay gecko (*Gekko gecko*)".

[F. No. 1-15/2013-WL]

Dr. S. S. GARBYAL, Addl. Director General of Forests (WL)
and Director, Wildlife Preservation

Note :—The Schedules to the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) were amended from time to time and the last notification in this regard was issued *vide* notification number S.O. 2293 (E) dated 4th September, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.